रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092024-257427
CG-DL-E-23092024-257427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2024/आश्विन 1, 1946
No. 256] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024/ASVINA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सं. 24/2024–25

विषयः 'अनुपालन बोझ' को कम करने और 'व्यापार करने में सुगमता' को बढ़ाने के लिए ईपीसीजी स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के अध्याय 5 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 18/31/एएम–25/पी–5.—समय–समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के अध्याय 5 में निम्नलिखित संशोधन करते हैः–

क्र. सं.	पैरा नं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	5.14	**निर्यात दायित्व पूरा करने की वार्षिक रिपोर्टिंग** प्राधिकार पत्र धारक प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व पूरा करने की रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करेगा। इस तरह की रिपोर्ट	**निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए रिपोर्ट** प्राधिकार पत्र धारक चार वर्ष की प्रथम ब्लॉक अवधि की समाप्ति के पश्चात तथा वैध निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से

		में शिपिंग बिल/जीएसटी बीजक संख्या, निर्यात/ आपूर्ति की तारीख, निर्यात/आपूर्ति/सेवा प्रदान किए गए उत्पाद का विवरण और विषिष्ट और साथ–साथ औसत निर्यात दायित्व दोनों के लिए निर्यात/आपूर्ति का एफओबी/एफओआर मूल्य के विवरण के साथ एक ब्यौरा शामिल होगा। ऐसी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी भी देरी को प्रत्येक प्राधिकार पत्र के लिए प्रति वर्ष 5000/– रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर नियमित किया जाएगा।	निर्यात दायित्व की पूर्ति पर रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसी रिपोर्ट में शिपिंग बिल/बीजक संख्या/निर्यात बिल/एफ.आई.आर.सी. संख्या के विवरण के साथ दिनांक और संख्या, जैसा भी लागू हो, सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित विशिष्ट तथा औसत निर्यात दायित्व (जो भी लागू हो) की पूर्ति के प्रमाण के रूप में शामिल होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से, प्रक्रिया पुस्तक, 2023 की निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम से संबंधित अध्याय 5 के प्रावधान को विदेश व्यापार नीति के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th September, 2024

No. 24/2024-25

Subject: Amendment in Chapter 5 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023, related to EPCG Scheme to reduce 'Compliance Burden' and enhance 'Ease of doing Business' – reg.

F. No. 18/31/AM-25/P-5.—In exercise of powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Chapter 5 of the HBP, 2023 with immediate effect :-

S. No.	Para No.	Existing provision	Revised provision
1	**5.14**	**Annual reporting of EO fulfillment** Authorisation holder shall submit to RA concerned by 30th June of every year, a report on fulfilment of export obligation through online. Such report shall contain a statement with details such as Shipping bill/GST invoice number, date of export/supply, description of product exported/supplied/service rendered and FOB/FOR value of export/supply for both specific as well as average export obligation. Any delay in filing such annual report shall be regularised on payment of a late fee of Rs. 5000/- per year for each authorisation.	**Report for EO fulfillment** Authorisation holder shall submit to RA concerned a report on fulfilment of export obligation through online mode after expiry of first block period of four years and continuously till the expiry of valid EO period. Such report shall contain a statement with details of Shipping bill/Invoice number/Bill of Export/FIRC number with date and number, as applicable, duly certified by Chartered Accountant/Cost Accountant/ Company Secretary for evidencing fulfillment of specific as well as average EO (wherever applicable).

Effect of this Public Notice: With a view to enhance ease of doing business and reduce the compliance burden, provision of Chapter 5 related to the Export Promotion Capital Goods Scheme of the HBP, 2023 is amended for EPCG authorizations issued under Foreign Trade Policy.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.23 23:12:46 +05'30'